



2026:AHC:42966

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 7656/2026

राजेन्द्र प्रसाद

..... याचीकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता

: विनोद कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2-प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित हो, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3-वर्तमान याचिका में याची द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या-2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि अपील संख्या C202115000000442 का यथाशीघ्र निस्तारण किया जाए।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4-वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घकाल से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अब तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5-प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-2/अपर आयुक्त (न्यायिक), आजमगढ़ क्षेत्र, आजमगढ़ उपर्युक्त अपील का निर्णय विधि के अनुसार अत्यंत शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर करें तथा अनावश्यक स्थगन प्रदान न करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

25 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।